43

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4741/2018/झाबुआ/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 23-6-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 461/अपील/2016-17.

---

1. रमेश राठौड़ पिता स्व. कचरू राठौड़
   निवासी ग्राम पेटलावद
   तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
2. गोपाल राठौड़ पिता स्व. कचरू राठौड़ (मृत)
   द्वारा वारिसान-
   अ. श्रीमती आनंदीबाई पति स्व. गोपाल राठौड़
   ब. महेश पिता स्व. गोपाल राठौड़
   स. उमेश पिता स्व. गोपाल राठौड़
   द. रेखा पिता स्व. गोपाल राठौड़
   निवासीगण भगतसिंह मार्ग,
   गांधी चौक पेटलावद जिला झाबुआ
3. तेजु उर्फ तेजा उर्फ मुकेश पिता स्व. कचरू राठौड़
   मृत तर्फे वारिसान-
   अ. श्रीमती अनिता पत्नी स्व. तेजु उर्फ तेजा उर्फ मुकेश राठौड़
   ब. संदीप पिता तेजु उर्फ तेजा उर्फ मुकेश राठौड़
   स. भूपेन्द्र पिता तेजु उर्फ तेजा उर्फ मुकेश राठौड़
   निवासीगण 123 भगतसिंह मार्ग,
   गांधी चौक पेटलावद जिला झाबुआ .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. कन्हैया पिता स्व. शंकरलाल राठौड़
2. हरदेव पिता स्व. नंदलाल राठौड़
3. गोरेलाल उर्फ प्यारेलाल पिता स्व. शंकरलाल राठौड़
   मृत तर्फे वारिसान-
   अ. भेरू पिता गोरेलाल उर्फ प्यारेलाल राठौड़
   ब. श्रीमती शांतिबाई पति गोरेलाल उर्फ प्यारेलाल राठौड़
   स. श्रीमती गुड्डी पिता गोरेलाल उर्फ प्यारेलाल राठौड़
   द. श्रीमती सुशीला पिता गोरेलाल उर्फ प्यारेलाल राठौड़

पति कन्हैयालाल राठौड़

4. राजू पिता स्व. नंदलाल राठौड़

5. श्रीमती लच्छीबाई पति स्व. नंदलाल राठौड़

निवासीगण ग्राम पेटलावद

तहसील पेटलावद जिला झाबुआ .....अनावेदकगण

श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अजीत सारस्वत, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1, 2, 4 व 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 23-6-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खोरिया तहसील पेटलावद स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 814, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051,1056 कुल रकबा 9.180 हेक्टेयर भूमि उभय पक्ष तथा हंजाबाई के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है । उक्त भूमि का बटवारा न्यायालय जिला न्यायाधीश झाबुआ के सिविल अपील क्रमांक 8 अ/2012 में दिनांक 20-9-2012 में पारित जय पत्र में 1/3 हिस्से के मान से बटवारा पारित किया गया है । अत: इसी जय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 177/अ-27/2015-16 पंजीबद्ध कर दिनांक 15-3-2017 को 1/3 के मान से बटवारा फर्द स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक पक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10-7-2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 कन्हैयालाल राठौड़ व अनावेदक क्रमांक 2 मृतक हरदेव राठौड़ द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23-6-2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर, तहसील

न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुए अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. तहसीलदार एवं अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 178 में दिये गये नियमों व प्रावधानों पर बिना विचार किए, व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सही व्याख्या न करते हुए आदेश पारित करने में विधि की गंभीर त्रुटि की गई है, जिससे तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

2. तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रकरण में खातेदार स्व. हंजाबाई के वारिसों को बिना पक्षकार बनाए, बिना उक्त वारिसान को कोई सूचना दिये अवैधानिक बटवारा आदेश प्राप्त किया है एवं उक्त अवैधानिक बटवारा आदेश को यथावत रखने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी विधि की गंभीर त्रुटि की है । इस तर्क के समर्थन में 1983 आर.एन. 451 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

3. द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन रहने के दौरान अनावेदक क्रमांक 3 तेजु उर्फ तेजा उर्फ मुकेश राठौड़ की मृत्यु दिनांक 5-3-2018 को हो जाने के पश्चात भी बिना उसके विधिक वारिसों को अपील प्रकरण में पक्षकार बनाये अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने अवैधानिक आदेश प्राप्त किया है, जो मृत पक्षकार के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 2017(1) आर.एन. 322 (सुप्रीम कोर्ट) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4. तहसील न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस विधिक प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया कि संहिता में बटवारा स्वत्व के मान से किए जाने का प्रावधान है एवं कब्जे के आधार पर बटवारा किये जाने का संहिता में कोई प्रावधान नहीं है, जिससे द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा कब्जे के मान से किये गये अवैध बटवारा आदेश को यथावत रखे जाने में विधि की गंभीर त्रुटि की है, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं । इस तर्क के समर्थन में 1990 आर.एन. 389 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5. द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस वैधानिक प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया कि सहखातेदारों के मध्य भूमि का बटवारा भूमि की किस्म के आधार पर समान रूप से किये जाने का प्रावधान है, जबकि सदर प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों में से सर्वे क्रमांक 1049 रकबा 0.064 व सर्वे क्रमांक 1051 रकबा 0.16 की स्टेट हाईवे से लगी हुई बेशकीमती स्वरूप की भूमियों

का उभय पक्षों में समान बटवारा न करते हुए उक्त दोनों सर्वे नम्बरों की भूमियां मृत खातेदार हंजाबाई का कब्जा होने के आधार पर बटवारे में प्रदान किये जाने बावत् अवैध आदेश पारित किया था, जिसे यथावत रखे जाने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की गंभीर त्रुटि की है, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायाललयों द्वारा पारित आदेश निरसत किये जाने योग्य हैं । इस तर्क के समर्थन में 1992 आर.एन. 4 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

6. द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस वैधानिक तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा कब्जे के मान से प्रस्तुत फर्द बटवारा पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के बाद भी विचारण न्यायालय द्वारा बिना उक्त आपत्ति का विधिवत निराकरण किये संहिता की धारा 178 के नियम 4 के विपरीत जाकर मनमाने तौर पर अवैधानिक आदेश पारित किया है, जिसे यथावत रखे जाने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी विधि की गंभीर त्रुटि की है ।

उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों व न्याय दृष्टांतों एवं व्यवहार न्यायालयद्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-6-2018 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-7-2017 यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1, 2, 4 व 5 के विद्वान अभिभाषक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अत: प्रकरण का निराकरण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रचलित व्यवहार वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 8अ/2012 में पारित निर्णय एवं जयपत्र दिनांक 20-9-2012 में प्रश्नाधीन भूमि पर उभय पक्ष का 1/3 हिस्सा माना है । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के निरस्त करने में त्रुटि की गई है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा विवेचना उपरांत आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर, तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में कोई भूल नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 23-6-2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर